मूल हिंदी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4534
19 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 की स्थिति

4534. श्री अमर शरदराव कालेः
श्री यदुवीर वाडियारः
श्री राजपालसिंह महेंद्रसिंह जादवः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत 'सभी के लिए आवास' के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत लक्षित तथा पूर्ण किए गए घरों/आवासीय इकाइयों की राज्य-वार संख्या क्या है;
(ग) आगामी तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत घरों/आवासीय इकाइयों की स्वीकृति के लिए राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, और
(घ) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के क्रियान्वयन में कोई कमियाँ पायी गई थीं और यदि हाँ, तो योजना की प्रभावशीलता में सुधार हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 में शामिल किए गए सुधारात्मक उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर में

सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करना है। निर्माणाधीन आवासों को पूरा करने और एसएनए-स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम से निधियां जारी करने के लिए पीएमएवाई-यू की योजना अवधि को 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता करने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। यह योजना चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 मांग आधारित योजनाएं हैं और इनका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) अपने संबंधित क्षेत्राधिकारों में अपने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से आवश्यकता का आकलन करते हैं, पात्रता मानदंडों के आधार पर लाभार्थियों का चयन करते हैं और आवास परियोजना को कार्यान्वित करते हैं। मांग सर्वेक्षण और लाभार्थियों के चयन के आधार पर परियोजना प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं ताकि केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा केन्द्रीय सहायता जारी करने पर आगे विचार किया जा सके।

मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाकी निर्माणाधीन आवास तय अवधि के भीतर पूरे हो जाएं। यह देखा गया है कि कार्यान्वयन एजेंसियों के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों में ऋणभार मुक्त भूमि की अनुपलब्धता, लाभार्थियों की अनिच्छा, कुशल जनशक्ति की कमी, कार्यान्वयन एजेंसियों की वित्तीय बाधा, ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित मुद्दे, निर्माण सामग्री की लागत में वृद्धि, सांविधिक स्वीकृति/अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने में विलंब और अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण उत्पन्न व्यवधान शामिल हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा अब तक पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 13.67 लाख आवासों सहित कुल 125.15 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है। जिनमें से 116.57 लाख आवासों की नींव रखी जा चुकी है और देश भर में 02.03.2026 तक 97.30 लाख आवास बनाए/ लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत शुरूआत से और पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत और पूरे किए गए आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में है।

दिनांक 19-03-2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4534 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत स्वीकृत और पूर्ण किए गए आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवासों की भौतिक प्रगति (संख्या)			
			शुरूआत से		पिछले तीन वर्षों के दौरान (वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25)	
			स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण**
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	19,55,310	11,24,209	2,74,065	6,01,901
2		बिहार	4,45,135	1,98,765	1,15,213	92,164
3		छत्तीसगढ़	3,34,502	2,63,109	40,451	1,14,031
4		गोवा	3,176	3,176	330	332
5		गुजरात	10,98,858	9,75,081	1,53,501	2,67,297
6		हरियाणा	1,32,982	73,313	20,398	20,122
7		हिमाचल प्रदेश	14,027	11,923	1,472	4,233
8		झारखंड	2,43,368	1,66,291	6,625	50,545
9		कर्नाटक	5,77,804	3,99,258	28,900	1,25,327
10		केरल	1,62,159	1,39,805	21,629	34,864
11		मध्य प्रदेश	10,11,558	8,99,293	75,882	3,74,732
12		महाराष्ट्र	13,49,934	10,48,128	1,47,889	3,50,804
13		ओडिशा	2,30,846	1,69,494	25,398	59,508
14		पंजाब	1,57,889	1,02,595	24,284	47,322
15		राजस्थान	3,66,612	2,67,251	1,45,231	88,421
16		तमिलनाडु	6,85,031	6,20,420	41,891	1,67,399
17		तेलंगाना	3,80,662	2,25,800	1,21,432	14,719

18		उत्तर प्रदेश	21,33,963	17,18,783	3,30,777	6,40,391
19		उत्तराखंड	66,692	51,871	14,622	15,573
20		पश्चिम बंगाल	6,25,664	5,11,916	12,264	1,96,779
उप-कुल (राज्य)			**1,19,76,172**	**89,70,481**	**16,02,254**	**32,66,464**
21	पूर्वोत्तर राज्य	अरुणाचल प्रदेश	14,400	8,642	5,286	5,332
22		असम	1,87,032	1,44,666	23,068	80,159
23		मणिपुर	56,047	22,506	21	11,709
24		मेघालय	7,072	2,841	4	1,252
25		मिजोरम	39,616	33,950	270	20,016
26		नागालैंड	32,394	30,152	1	22,978
27		सिक्किम	299	219	26	26
28		त्रिपुरा	90,318	82,167	9,234	21,518
उप-कुल (पूर्वोत्तर राज्य)			**4,27,178**	**3,25,143**	**37,910**	**1,62,990**
29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	261	234	1	3
30		चंडीगढ़	1,279	1,279	130	128
31		दादरा और नगर हवेली एवं दमण और दीव	10,464	10,030	1,342	3,064
32		दिल्ली	32,466	32,466	2,669	2,669
33		जम्मू और कश्मीर	45,982	35,245	5,215	19,375
34		लद्दाख	1,434	968	3	334
35		पुडुचेरी	19,777	12,548	2,713	4,930
उप-कुल (यूटी)			**1,11,663**	**92,770**	**12,073**	**30,503**
		कुल योग	**125.15 लाख**	**97.30 लाख***	**16,52,237**	**34,59,957**

*पीएमएवाई-यू की मिशन अवधि के दौरान जेएनएनयूआरएम की पूर्व योजना के पूर्ण किए गए (3.42 लाख) आवास शामिल हैं।

** वर्ष में पूरे किए गए वे आवास शामिल हैं जिन्हें पूर्ववर्ती वर्षों में स्वीकृति दी गई थी।
